6. परीक्ष्यमान अवधि / विभागीय परीक्षा / सम्पुष्टि

[1]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

कार्यालयादेश

संख्या-12/टि०-4-162/93-का०-467 पटना-15, दिनांक- 16.12.98

राज्य सरकार के पदाधिकारी के सेवा में प्रवेश के बाद सेवा सम्पुष्टि- आवश्यक अहर्त्ता विभागीय परीक्षा अधिनियम खंड-1 की धारा-22 के अधीन दिये गये शर्त्त के अनुपालन पर करने का प्रावधान है । सेवा सम्पुष्टि पदाधिकारी की परिवीक्षा अवधि की सफल समाप्ति के बाद निम्न तीन शर्त्त पर होती है -

(1) परिवीक्षा अवधि के साथ-साथ लगातार दो वर्ष की सेवा,

(2) आवश्यक मापदण्ड के अनुसार विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना,

(3) सरकार द्वारा पदाधिकारी को इस मामले में योग्य पाया जाना।

2- जैसा कि अखिल भारतीय सेवा (प्रोबेशन) नियमावली, 1954 की धारा-3"ए" में उल्लिखित किया गया है कि परिवीक्षा अवधि एवं अन्य शर्त्त पूरा करने के बाद 2 वर्षों की अवधि बीत जाने पर सेवा सम्पुष्टि अनिवार्य हो जाता है ।

3- बिहार सरकार के संकल्प संख्या-7225-का० दिनांक 6 जून, 1981 की कंडिका -2 निम्न प्रकार है :-

"सरकार के सामने कुछ ऐसे दृष्टान्त आये हैं जिनसे पता चलता है कि सभी मामलों में एकरूपता नहीं बरती जा रही है। अतएव इन सभी बिन्दुओं पर भलीभाँति विचार करने के पश्चात सरकार ने निर्णय लिया है कि सम्पुष्टि / दक्षतावरोध की देय तिथि के पूर्व उन्हीं आरोपों पर विचार किया जाए जो प्रथम द्रष्टया प्रमाणित हों। देय तिथि के बाद के आरोपों का कुप्रभाव सम्पुष्टि / दक्षतावरोध पर नहीं पड़ेगा। प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप तभी समझा जायेगा जब पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप के लिए दंडित करने के लिए कार्रवाई करने का आदेश प्राप्त हो चुका है या जो तथ्य उपलब्ध हैं उनके आधार पर विभाग इस निष्कर्ष पर पहुँच चुका है कि आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है ।"

सेवा सम्पुष्टि के बारे में यह देखना आवश्यक है कि सेवा में योगदान एवं आवश्यक अवधि में कोई प्रथम द्रष्टया आरोप आदि की स्थिति क्या है? यदि कोई प्रथम द्रष्टया आरोप प्राप्त हो जाता है तो विभागीय परिपत्र संख्या - 14933 दिनांक 7.12.85 के आलोक में उसका निष्पादन कर ही आगे की कार्रवाई की जायेगी ।

3- सेवा सम्पुष्टि के मामले में पदाधिकारी के क्षेत्रों में विभागीय परीक्षा में सफल होने में अगर देर लग जाती है तो जिस दिन ये विभागीय परीक्षा में सफल हो जाते हैं उस दिन से सेवा सम्पुष्टि की जायेगी बशर्ते कि दो वर्ष अवधि की सेवा करने के बारे में कोई प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप नहीं हों ।

4- ऐसी शिकायत मिलती है कि अगर किसी कारण से अहर्त्ता प्राप्ति में पदाधिकारी द्वारा विलम्ब हो जाता है तो बाद में सेवा सम्पुष्टि के समय आरोप, परिवाद, लोकायुक्त आदि स्रोत से वर्षों बाद का कोई पत्र का हवाला देकर अनावश्यक रूप से एवं मात्र परेशान करने के उद्देश्य से सेवा सम्पुष्टि को रोक कर रखा जाता है । विभाग

के परिपत्र दिनांक 6.6.81 से स्पष्ट है कि इस प्रकार का आरोप का निष्पादन विधिवत तरीके से की जायेगी लेकिन इसके लिए सेवा सम्पुष्टि बाधित नहीं होगी ।

5- परिवीक्षण अवधि में चारित्री में प्रतिकूल अभ्युक्ति या परिवीक्षण अवधि में वृद्धि करने के लिए स्पष्ट साक्ष्य अनुशंसा सहित नियंत्री पदाधिकारी से प्राप्त होने पर सरकार अगर परिवीक्षण अवधि में वृद्धि के प्रस्ताव में सहमत होती है तो पदाधिकारी की सम्पुष्टि तदनुसार बढ़ायी जा सकती है । चारित्री के अभाव आदि सामान्यत: सेवा सम्पुष्टि के लिए बाधक नहीं होगा।

6- सभी सम्बन्धित द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन तत्परता से किया जाए तथा आवश्यक रूप से कार्य निष्पादन में विलम्ब न हो ।

ह०/- देवाशीष गुप्ता
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-12/टि०-4-162/93 का०-467 पटना-15, दिनांक-16.12.98

प्रतिलिपि - कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारीगण एवं सभी सहायकगण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

ह०/- देवाशीष गुप्ता
सरकार के सचिव ।

---

[2]

पत्र संख्या-3/वि० 1-201/98 - 11971

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री देवाशीष गुप्ता, सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव / सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना, 15, दिनांक 13-11-98

विषय :- प्रोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की अनिवार्यता के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियुक्ति विभाग (अब कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के संकल्प संख्या-13632 दिनांक 11-10-1961 एवं अधिसूचना सं०-13559 दिनांक 10-10-1961 के प्रसंग में निदेशानुसार मुझे कहना है कि उक्त अधिसूचना के खण्ड-I के द्वारा सभी राजपत्रित पदाधिकारियों तथा खंड-II के द्वारा बिहार असैनिक सेवा (कार्यपालिका शाखा) के लिए विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् उनके सेवाकाल में उससे होने वाले प्रभावों के बारे में प्रावधान निरूपित किये गये हैं । उक्त प्रावधान में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना एक दायित्व है तथा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना उन्हें सम्पुष्टि नहीं किया जा सकता है । हाल के वर्षों में यह पाया जा

रहा है कि कतिपय विभागों द्वारा राजपत्रित पदाधिकारियों को बिना विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए ही प्रोन्नति हेतु विचार किया जा रहा है, जो उक्त अधिसूचना में विहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है । कुछ विभागों की यह भी धारणा है कि विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की अनिवार्यता मात्र सम्पुष्टि तक ही सीमित है, जो सही नहीं जान पड़ती है क्योंकि बिना किसी निम्नतर पद पर सम्पुष्ट हुए किसी भी पदाधिकारी को प्रोन्नति के योग्य नहीं समझा जा सकता है और न ही उसे प्रोन्नति दी जा सकती है ।

2. अतएव कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिसूचना संख्या 13559 दिनांक 10-10-1961 में निहित प्रावधानों के प्रसंग में पुन: स्पष्ट करना है कि सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को संपुष्टि एवं प्रोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त आवश्यक शर्त है । बिना विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए राजपत्रित पदाधिकारियों के संपुष्टि एवं अगले पदों पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जाना नियमानुकूल नहीं होगा।

विश्वासभाजन
ह०/- देवाशीष गुप्ता
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-3/वि० 1-201/98का० 11971 पटना, दिनांक 13-11-98

प्रतिलिपि :- बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- देवाशीष गुप्ता
सरकार के सचिव ।

---

[3]

पत्रांक 4/24/-104/95-13445

केन्द्रीय परीक्षा समिति, बिहार

प्रेषक,

श्री रामेश्वर पाठक, सचिव, केन्द्रीय परीक्षा समिति, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग / गृह विभाग / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग / पशुपालन विभाग / भवन एवं पथ निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / कृषि विभाग / विधि विभाग / उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग / आरक्षी विभाग / निबंधन विभाग / वित्त वाणिज्यकर विभाग / वन विभाग / मानव संसाधन विभाग / कार्य विभाग / जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना तथा मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त अंकेक्षण विभाग बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक : 25.9.96

विषय :- विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण तिथि की मान्यता ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में पदाधिकारियों द्वारा यह बराबर प्रश्न उठाया जा रहा है कि विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण तिथि की मान्यता क्या होगी? आपकी विभागीय परीक्षा नियमावली में इस बात का उल्लेख नहीं रहने के

कारण समिति को इस संबंध में उत्तर देने में कठिनाई हो रही है। इस संबंध में समिति के पत्रांक 24-33/77-18 दिनांक-11.7.80 के द्वारा अनुरोध किया गया था कि समिति द्वारा निर्धारित तिथि का उल्लेख अपनी विभागीय परीक्षा नियमावली में किया जाय ताकि किसी सेवा में विभेद उत्पन्न न हो ।

अत: केन्द्रीय परीक्षा समिति, बिहार के उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने-अपने विभागीय परीक्षा नियमावली में इस आशय का प्रावधान कर समिति कार्यालय को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें ताकि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को नियम के अभाव में कठिनाई का सामना न करना पड़े ।

विश्वासभाजन,
ह/- रामेश्वर पाठक,
सचिव -

संख्या- 4/24-33/77-18
केन्द्रीय परीक्षा समिति, बिहार

प्रेषक,

श्री राम नारायण सिंह, सचिव, केन्द्रीय परीक्षा समिति, बिहार।

सेवा में,

सुश्री दीपिका पड्डा, उप-विकास आयुक्त, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 11 जुलाई, 1980 ।

विषय :- विभागीय परीक्षा पास करने की तिथि की मान्यता ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पीतपत्र दिनांक 18.3.80 के प्रसंग में मुझे सूचित करना है कि बिहार असैनिक सेवा एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा समाप्त होने के दूसरे दिन को ही परीक्षोत्तीर्ण होने की तिथि माना जाता है।

आपका विश्वासभाजन
ह०/- राम नारायण सिंह
सचिव

ज्ञाप संख्या- 24-33/77-18 पटना, दिनांक 11 जुलाई, 1980

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, बिस्कोमान भवन, पटना / सभी सरकारी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी आयुक्त / सभी समाहर्त्ता को सूचनार्थ अग्रसारित।

केन्द्रीय परीक्षा समिति, बिहार के आदेशानुसार,
ह०/- राम नारायण सिंह
सचिव

ज्ञाप सं०- 24-33/77-18 पटना, दिनांक 11 जुलाई, 1980

प्रतिलिपि विशेष सचिव, कार्मिक विभाग को दिये गये परामर्श के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित । उनसे अनुरोध है कि वे कृपया राज्य के सभी संवर्गों की नियमावली में उक्त आशय

का प्रावधान करने हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक अनुदेश भेज दें ताकि किसी मामले में निदेश देने की आवश्यकता नहीं रह जाय ।

केन्द्रीय परीक्षा समिति, बिहार के आदेशानुसार
ह०/- राम नारायण सिंह
सचिव

---

[4]

पत्रांक सं० सं० - 566

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री रवि कान्त, सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलायुक्त / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची

पटना, दिनांक- 18 अक्टूबर, 1995

विषय :- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के अन्तर्गत सहयकों को विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की परिपत्र संख्या-3/आर-1-101/91-का०-4674, दिनांक- 15.5.92 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये कहना है कि उपर्युक्त परिपत्र की कंडिका -6 में विमुक्ति संबंधी आदेश निर्गत करने की शक्ति विभागीय सचिव को प्रदत्त है ।

2- उल्लेखनीय है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के गठन के पश्चात सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों की संयुक्त संवर्ग नियमावली, 1992 जो 30 अगस्त, 1988 से प्रभावी है, के अनुसार इस संवर्ग के प्रशाखा पदाधिकारी स्तरतक के पदाधिकारियों के नियुक्ति पदाधिकारी आयुक्त एवं सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा इस संवर्ग के सदस्यों का प्रशासी विभाग कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग घोषित हो गया है ।

3- इसके बावजूद अनेक मामले इस विभाग की जानकारी में आये हैं कि जिनमें सहायक संयुक्त संवर्ग के सहायकों को जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, को विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रदान कर दी जा रही है, जो नियमानुसार एवं वैधिक दृष्टिकोण से मान्य नहीं है ।

6- अत: अनुरोध है कि सहायक संयुक्त संवर्ग के सहायकों के विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति संबंधी मामलों में विमुक्ति संबंधी आदेश अपने स्तर से निर्गत नहीं कर ऐसे प्रस्तावों की समीक्षा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की उपर्युक्त परिपत्र संख्या-4674, दिनांक-15.5.92 में निहित शर्तों के अनुसार अपने स्तर पर कर पूर्ण सूचनाओं एवं स्पष्ट मन्तव्य के साथ प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजा जाय ताकि विमुक्ति सम्बन्धी आदेश इस विभाग के स्तर से निर्गत किया जा सके।

3- कृपया उपर्युक्त निदेशों का सुदृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,
ह०/- रविकान्त
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञाप संख्या- सं०सं०-566 पटना, दिनांक-18 अक्टूबर, 1995

प्रतिलिपि - शाखा सचिवालय, राँची / महाधिवक्ता का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- रविकान्त
सरकार के अपर सचिव ।

---

[5]

पत्र संख्या-12/सी-102/99 का०- 4158

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री रविकान्त, सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी / सभी उपायुक्त, बिहार ।

पटना-15, दिनांक 2 जून, 1995

विषय :- बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवा सम्पुष्टि के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवा सम्पुष्टि के लिये मात्र विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्णता तथा कोषागार प्रशिक्षण पूरा कर लिये जाने की आवश्यकता है।

परन्तु ऐसा पाया जा रहा है कि अनेक पदाधिकारी उपरोक्त शर्त्त पूरी कर लेने के बावजूद राजस्व वाद अभिलेख एवं विधिवाद अभिलेख की स्वीकृति के अभाव में सेवा सम्पुष्टि हेतु आवेदन विभाग को नहीं भेजते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी सेवा सम्पुष्टि के मामले में कार्रवाई सम्भव नहीं हो पाती है। इस संबंध में यह स्पष्ट करना है कि सेवा सम्पुष्टि के लिये राजस्ववाद अभिलेख एवं विधिवाद अभिलेख की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आपसे अनुरोध है कि इसकी सूचना अपने अधीनस्थ बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारियों को दी जाय तथा तदनुसार जिन पदाधिकारियों की सेवा में सम्पुष्टि का मामला लम्बित हो उनके आवेदन को अपनी अनुशंसा एवं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्रमाण पत्र एवं कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की प्रति के साथ विभाग को उपलब्ध करायें ।

विश्वासभाजन,
ह०/- रविकान्त
सरकार के अपर सचिव ।

---

[6]

पत्र संख्या-3/आर 1-101/91-का०-4674

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री हर्ष वर्धन, सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिला पदाधिकारी / उपायुक्त / बन्दोबस्त पदाधिकारी, महालेखाकार, बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक 15 मई, 1992

विषय :- सरकारी सेवकों को विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या- 1169 दिनांक 9.11.83 (प्रतिलिपि संलग्न) के क्रम में कहना है कि बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ एवं राज्य सरकार के बीच हुए विचार विमर्श एवं समझौते के आधार पर सरकार ने विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में निम्नांकित संशोधित निर्णय लिया है :-

1. विभागीय परीक्षा से विमुक्ति का आदेश उन राजपत्रित/अराजपत्रित सरकारी सेवकों पर लागू होगा, जिन्होंने 50 वर्ष आयु पूरी कर ली है ।

2. जिस तिथि से विमुक्ति का आदेश निर्गत किया जायगा, उसी तिथि से विमुक्ति का आदेश प्रभावी होगा ।

3. विमुक्ति उन्हीं सरकारी सेवकों को दी जा सकेगी, जिन्होंने परीक्षा में भाग लेने का लगातार प्रयत्न किया, परन्तु असफल रहे, अथवा सरकारी कारणों के चलते परीक्षा में भाग नहीं ले सके, अथवा उनके 50 वर्ष की आयु पूरा करने के 5 (पांच) वर्ष पूर्व निर्धारित विभागीय परीक्षा कभी आयोजित नहीं की गई हो ।

4. परीक्षा से बरी करने का प्रतिकूल प्रभाव कार्यक्षमता पर नहीं पड़े, इसे ध्यान में रखकर विमुक्ति वैसे ही अभ्यार्थी को दी जाय, जिनकी चरित्रपुस्ति / अभ्युक्तियाँ अच्छी हों, कार्य संतोषप्रद रहा हो, कोई भी विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं हो तथा जिन्हें सेवाकाल में कोई दंड नहीं मिला हो ।

5. विभागीय परीक्षा से विमुक्ति प्रदान करने का अधिकार ऐच्छिक होगा, अनिवार्य नहीं ।

6. विमुक्ति का आदेश विभागीय सचिव के अनुमोदन से पारित होगा तथा मुफस्सिल कार्यालयों के सरकारी सेवकों के संबंध में विमुक्ति का आदेश प्रमंडलीय आयुक्त के अनुमोदन से पारित होगा ।

7. विमुक्ति आदेश पारित करने के पूर्व कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी ।

कृपया उल्लिखित कार्यावधि के अनुसार सरकारी सेवकों के विभागीय परीक्षा से विमुक्ति संबंधी अभ्यावेदन पर विचार किया जाय तथा इसकी सूचना सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को दे दी जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/- हर्षवर्धन

सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या- 11691
बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री जी०डी० मुखर्जी, सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग के सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / उपायुक्त / बन्दोबस्त पदाधिकारी / महालेखाकार, बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक 9 नवम्बर, 1983

विषय :- सरकारी सेवकों के विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या- 11925 दिनांक 21.6.1978 के क्रम में मुझे कहना है कि उक्त परिपत्र के आलोक में निर्गत विमुक्ति आदेशों में एकरूपता का अभाव, अनुकम्पा एवं विशेष परिस्थिति का आधार क्या हो, विमुक्ति आदेश कब से प्रभावी हो, विमुक्ति का लाभ अराजपत्रित पदाधिकारियों को भी दी जाए या नहीं, इन सभी विन्दुओं का उक्त परिपत्र में स्पष्टत: उल्लेख नहीं रहने के कारण आये दिनों सरकार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अत: सरकार ने इस मामले पर भली-भांति विचार करने के पश्चात निम्नांकित निर्णय लिया है :-

1. विभागीय परीक्षा से विमुक्ति का आदेश उन राजपत्रित / अराजपत्रित सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगा, जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।

2. जिस तिथि से विमुक्ति का आदेश निर्गत किया जाएगा, उसी तिथि से विमुक्ति का आदेश प्रभावी होगा ।

3. विमुक्ति उन्हीं सरकारी सेवकों को दी जा सकेगी, जिन्होंने परीक्षा में भाग लेने का लगातार प्रयत्न किया, परन्तु असफल रहे अथवा सरकारी कारणों के चलते परीक्षा में भाग नहीं ले सके ।

4. परीक्षा से बरी करने का प्रतिकूल प्रभाव कार्यक्षमता पर नहीं पड़े इसे ध्यान में रखकर विमुक्ति वैसे ही अभ्यार्थी को दी जाए, जिनकी चरित्र-पुस्ति / अभ्युक्तियां अच्छी हों, कार्य संतोषप्रद रहा हो, कोई भी विभागीय या अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं हो तथा जिन्हें सेवाकाल में कोई दंड नहीं मिला हो ।

5. विभागीय परीक्षा से विमुक्ति प्रदान करने का अधिकार ऐच्छिक होगा अनिवार्य नहीं ।

6. विमुक्ति का आदेश विभागीय मंत्री के अनुमोदन से पारित होगा ।

7. सम्बद्ध विभाग द्वारा विमुक्ति आदेश पारित करने के पूर्व कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

कृपया उल्लिखित कार्यावधि के अनुसार सरकारी सेवकों के विभागीय परीक्षा से विमुक्ति संबंधी अभ्यावेदन पर विचार किया जाए एवं इस आदेश की सूचना सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को दे दी जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/- जी० डी० मुखर्जी
सरकार के संयुक्त सचिव ।

[7]

पत्र संख्या-3/आर 1-1054/91 का०-273

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार चौधरी, सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना । सचिव, लोक स्वा० अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना / सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना / सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक 23 जनवरी, 1992

विषय :- सीमित राजपत्रित कनीय अभियंताओं के पदों पर सीधी भर्त्ती के प्रक्रिया का निर्धारण ।

महाशय,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं०-11585 दिनांक 2-11-87 में कनीय अभियंताओं के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया उपर्युक्त संकल्प की कंडिका-3 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि भविष्य में सभी कार्य विभाग कनीय अभियंताओं के पदों पर सीधी भर्त्ती से नियुक्ति केवल लोक सेवा आयोग के अनुशंसा पर संबंधित विभागाध्यक्ष / नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा की जाएगी ।

2. इस तरह की बातें प्रकाश में आई हैं कि कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत संकल्प के बावजूद भी कतिपय कार्य विभागों में लोक निर्माण विभाग के पत्रांक-11211 दिनांक 31-5-76 के अन्तर्गत निहित प्रावधान के आलोक में अंशकालीन डिप्लोमाधारियों की नियुक्ति कनीय अभियंताओं के पदों पर कर ली गई है, जो अनियमित है ।

3. कनीय अभियंताओं के पदों पर नियुक्ति के संबंध में कार्मिक विभाग के उक्त संकल्प सं०-11585 दिनांक 2-11-87 ही प्रभावी रहेगा एवं इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के पत्रांक-11211 दिनांक 31-5-76 सहित इस बिन्दु पर पूर्व में जो पत्र निर्गत हुए हैं, उन सबों को कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत उक्त संकल्प के अधीन ही अवकमित समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/- सरकार के सचिव ।

ज्ञाप सं०-3/आर 1-1054/91 का०-273 पटना, दिनांक 23 जनवरी, 92

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को मुद्रणार्थ अग्रसारित । उनसे अनुरोध है कि परिपत्र की एक हजार मुद्रित प्रतियां कार्मिक विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

ह०/- सरकार के सचिव

ज्ञाप सं०-273 पटना, दिनांक 23 जनवरी, 92

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग / सचिव, अवर सेवा चयन पर्षद, बिहार, पटना / सरकार के सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- सरकार के सचिव ।

[8]

पत्र संख्या -3 / एम 1-1042 / 90 का० – 7017

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री हर्ष वर्धन, सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग के सचिव / सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 14 जून, 1990

विषय :- सरकारी सेवकों को विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-11691 दिनांक 9.11.83 के क्रम में कहना है कि उक्त परिपत्र के आलोक में सरकारी सेवकों को विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में विहित प्रावधान किया गया है । इस परिपत्र के अनुसार विभागीय परीक्षा से विमुक्ति आदेश निर्गत की तिथि से ही प्रभावी होगी । परन्तु महालेखाकार कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर अपने पदाधिकारियों को विभागीय एवं व्यावसायिक परीक्षा से विमुक्ति प्रदान किये जाने के आदेशों में से कुछ मामलों में विभाग ने पदाधिकारियों को एक निश्चित आयु सीमा पार करने की तिथि अंकित कर विभागीय एवं अथवा व्यावसायिक परीक्षा से विमुक्ति प्रदान की है । महालेखाकार ने पृच्छा की है कि इन मामलों में वेतन वृद्धि कब से अनुमान्य की जाय ।

महालेखाकार, कार्यालय द्वारा उठाये गए उपर्युक्त विन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध करना है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र सं०-11691 दिनांक 9.11.83 में विहित स्पष्ट प्रावधान के आलोक में विभागीय / व्यावसायिक परीक्षा से विमुक्ति, आदेश-निर्गत की तिथि से ही प्रदान की जा सकती है ।

किसी भी परिस्थिति में विमुक्ति भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी नहीं होगी । यदि कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या-11691 दिनांक 9.11.83 के प्रतिकूल किन्हीं पदाधिकारी को भूतलक्षी प्रभाव से विमुक्ति दी गई है तो उक्त परिपत्र के आलोक में पूर्व के आदेश को संशोधित कर महालेखाकार / वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग को सूचित करने की व्यवस्था की जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/- हर्षवर्धन
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप सं०-3/एम1-1042/90का० 7017 पटना, दिनांक 14 जून, 90

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- हर्षवर्धन
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक -3 एम 1-1042 / 90 का० -7017 पटना, दिनांक 14 जून, 90

प्रतिलिपि - (1) अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो, बिहार सरकार, पटना / (2) अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना / (3) अभियंता प्रमुख, लघु सिंचाई विभाग, बिहार सरकार, पटना / (4) अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना / (5) अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पटना / (6) अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना / (7) अभियंता प्रमुख, ग्रामीण विकास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- हर्षवर्धन
सरकार के संयुक्त सचिव ।

---

[9]

ज्ञाप सं०-10 / परी०-2006 / 83 का० -850

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / मुख्य वन संरक्षक, बिहार, रांची ।

पटना-15, दिनांक 29.8.83 ।

विषय :- सचिवालय सहायक विभागीय परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु सहायकों के संबंध में ।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि कुछ विभागों द्वारा यह पृच्छा की गयी है कि अवर सेवा चयन पर्षद द्वारा निकट भविष्य में आयोजित की जाने वाली सचिवालय सहायक विभागीय परीक्षा में किस कोटि के सहायक सम्मिलित होंगे । इस संबंध में कहना है कि जिन कोटि के सहायकों का उल्लेख कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या - 257 दिनांक 30.3.81 की कंडिका -2 में है, वे पर्षद द्वारा आयोजित की जाने वाली सचिवालय सहायक विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार हैं ।

2- इसके अलावे निम्न कोटि के अस्थायी सहायक भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन ऐसे सहायकों को इस शर्त्त के साथ सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने से ही संपुष्टि या प्रोन्नति के हकदार तब तक नहीं होंगे जबतक इन श्रेणी के सहायकों को परीक्ष्यमान घोषित करने के बारे में कार्मिक विभाग द्वारा निर्णय नहीं ले लिया जाता है ।

(क) वर्ष 1975 में 35 से 45 वर्ष की आयु वाले विशेष परीक्षा के माध्यम से नियुक्त अस्थायी सहायक,

(ख) वर्ष 1978 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विशेष प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर कार्मिक विभाग द्वारा आबंटित अनुसूचित जाति / जन जाति के अस्थायी सहायक,

(ग) वर्ष 1979 में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों से तृतीय वर्ग के अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त कार्मिक विभाग द्वारा आबंटित अस्थायी सहायक,

(घ) सचिवालय स्पोर्टस क्लब की अनुशंसा पर कार्मिक विभाग द्वारा अनुशंसित एवं विभागों द्वारा अस्थायी सहायक के रूप में नियुक्त किये गए मेधावी खिलाड़ी,

(ङ) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अनुशंसा पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त अस्थायी सहायक ।

सभी विभागों से अनुरोध है कि परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु उम्मीदवारों के नाम भेजने के पूर्व ठीक से जांच ली जाय। ऐसे सहायक जिनकी नियुक्ति विभाग द्वारा अनियमित रूप से की गयी है, उन्हें इस परीक्षा में सम्मिलित होने का हक नहीं होगा।

ह०/- बेक जुलियस
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञाप संख्या- 850 दिनाक 29.8.83

प्रतिलिपि - सचिव, बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि सम्मिलित होने वाले योग्य उम्मीदवारों की जांच अपने स्तर से कर लें ।

ह०/- बेक जुलियस
सरकार के विशेष सचिव ।

---

[10]

पत्र संख्या-10/परी०-907/81 का०-1018

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री मंत्रेश्वर झा, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / मुख्य वन संरक्षक, बिहार, राँची ।

पटना, दिनांक 11.10.1983

विषय :- वर्ष 1982 में विभिन्न स्त्रोतों से नियुक्त अस्थायी सहायकों का स्थायीकरण - पटना उच्च न्यायालय मुकदमा संख्या - 1276/81, 1521/81, 1707/81, 2686/81 तथा 2814/81 ।

महाशय,

निदेशानुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-620 दिनांक 14.7.81 के प्रसंग में कहना है कि पटना उच्च न्यायालय ने उक्त मुकदमों में फैसला देते हुए निम्नांकित मंतव्य के साथ सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है :-

"47. On the strength of the principle laid down in these cases, my concluded opinion is that the resolution dated 30.3.81 of the State Govt. does not call for any interference as the same cannot be held to suffer from unreasonableness, arbitrariness or any other legal

infirmity. I would like to add that the right that has accrued to the employees of the first category should be safeguarded whenever there is any occasion for promotion to the higher post. All other factors being equal the L.D. Assistants appointed on the basis of their success in the examination held in the year 1973 should receive due recognision in determining rules of seniority as between persons recruited from other sources.

48. In the result, all the writ petitions are dismissed, but in the circumstances of the case there will be no order as to costs".

Hari Lal Agrawal, J-"I have gone through the judgment prepared by my learned Brother K.B. Sinha and I agree with him that interfering with the impugned resolution dated 30.3.1981 would cause more complications and injustice to a large number of Assistants working in the various departments of the State of Bihar, and would unsettle many things settled since quite a long time. The applications must, therefore, be dismissed.

इस तरह कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-257 दिनांक 30.3.81 को उच्च न्यायालय द्वारा वैध करार दिया गया है ।

अत: परिपत्र संख्या का० 628 दिनांक 14.7.81 द्वारा इस संकल्प के अनुपालन पर जो रोक लगायी गयी थी उसे वापस किया जाता है । आपसे अनुरोध है कि उक्त संकल्प में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/- मंत्रेश्वर झा
आयुक्त एवं सचिव ।

---

[11]

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

पटना, दिनांक 30 मार्च, 1981

संकल्प

विषय :- वर्ष 1962 से विभिन्न स्रोतों से नियुक्त अस्थायी सहायकों के स्थायीकरण के संबंध में ।

वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार सचिवालय तथा संलग्न कार्यालयों में सहायक के 75 प्रतिशत पदों पर सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति की जाती है । शेष 25 प्रतिशत पदों पर राज्य सरकार के कार्यालयों में कार्यरत तृतीय श्रेणी के अनुसचिवीय कर्मचारी जिनकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम प्रवेशिकोत्तीर्ण हो और लगातार 5 वर्षों तक की सेवा पूरी कर चुके हों तथा उनका आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं हो, से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाते हैं ।

2 - कतिपय कारणों से सचिवालय तथा संलग्न कार्यालयों में सहायक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 1962 से 1972 के बीच नहीं किया जा सका । इस बीच विभागों में सहायक के रिक्त पदों पर, विभागों द्वारा काम चलाने के लिये विभिन्न स्रोतों से तदर्थ नियुक्ति की गयी । ऐसे नियुक्त सहायक निम्नांकित कोटि के हैं :-

(i) वैसे सहायक जिनकी नियुक्ति 1961 वर्ष की सामान्य निम्नवर्गीय सहायक प्रतियोगिता परीक्षा की असफल सूची से अस्थायी तौर पर की गयी ।

(ii) वर्ष 1962 के बाद से विभागों द्वारा तदर्थ रूप से छंटनीग्रस्त कर्मचारियों, दिनचर्या लिपिकों, टंककों एवं खुले बाजार से बाह्य व्यक्तियों की अस्थायी तौर पर सहायक के रूप में नियुक्ति ।

(iii) वर्ष 1966 में, वित्त विभाग द्वारा आयोजित विशेष परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर नियुक्त अस्थायी सहायक ।

(iv) वर्ष 1971 में, वित्त विभाग द्वारा तृतीय श्रेणी के अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिये आयोजित विशेष परीक्षा में उत्तीर्ण सूची से नियुक्त अस्थायी सहायक ।

(v) वर्ष 1973 में कार्मिक विभाग द्वारा आयोजित सामान्य निम्नवर्गीय सहायक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त अस्थायी सहायक ।

3- उपर्युक्त वर्णित स्रोतों से नियुक्त सहायकों के स्थायीकरण के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर परिपत्र जारी किये गये, परन्तु वे सभी परिपत्र उनकी समस्याओं को सुलझाने में प्रभावहीन साबित हुये । इसी बीच सचिवालय तथा संलग्न कार्यालयों में विभिन्न स्रोतों से नियुक्त सहायकों की ओर से उनके स्थायीकरण तथा वरीयता निर्धारण के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुये । उनके अभ्यावेदन में उठाये गये बिन्दुओं की सम्यक जांच तथा उनके द्वारा पेश किये गये दलीलों पर विचार कर उपर्युक्त कंडिका-2 में वर्णित कोटि के विभिन्न स्रोतों से नियुक्त अस्थायी सहायकों के स्थायीकरण के संबंध में सरकार ने भलीभांति विचार कर निम्नांकित निर्णय लिया है :-

4- (क) प्रत्येक विभाग से अनुरोध किया जाय कि वे दिनांक 2-3-1976 तक उपलब्ध सहायक के सभी अस्थायी पदों को, यदि उनके भविष्य में बने रहने की संभावना हो तो, स्थायी कर दें । ऐसा करने से सभी अस्थायी सहायकों के लिये स्थायी पद उपलब्ध कराये जा सकते हैं ।

(ख) इस प्रकार प्राप्त स्थायी पदों के विरुद्ध तदर्थ रूप से नियुक्त सभी अस्थायी सहायकों को उनकी लगातार सेवा के तीन वर्ष पूरा हो जाने की तिथि से, यदि उनकी सेवा संतोषजनक रही हो, परीक्ष्यमान घोषित कर दिया जाय । 1971 की विशेष निम्नवर्गीय सहायक परीक्षा से लिये गये सहायकों एवं 1973 की परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर आबंटित सहायकों को उनकी नियुक्ति की तिथि से ही परीक्ष्यमान घोषित कर दिया जाय । इन सभी सहायकों को दो वर्षों की परीक्ष्यमान अवधि पूरी हो जाने की तिथि से संपुष्ट कर दिया जाय । इसके लिये किसी प्रकार की परीक्षा का बन्धेज नहीं रहेगा ।

(ग) यदि उपर्युक्त उप-केन्द्रिका (क) में वर्णित रीति से उतने स्थायी पद उपलब्ध नहीं हो सकें, जितने उपर्युक्त उपकंडिका (ख) के अनुसार परीक्ष्यमान घोषित करने के लिये आवश्यकता हो, तो आवश्यकतानुसार उसी तिथि से छाया पद स्वीकृत किये जाय, जिस तिथि से उनकी जरूरत हो, और, उनको तबतक के लिए स्वीकृत

किया जाय, जबतक के लिये नियमित पद उपलब्ध नहीं हो जाय ।

(घ) 1973 की सामान्य निम्नवर्गीय प्रतियोगिता परीक्षा से आये सहायकों को यद्यपि संपुष्टि के लिये प्राक्-संपुष्टि परीक्षा में उतीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा, फिर भी कार्य सम्पादन हेतु दक्षता प्राप्त करने के लिये उन्हें संपुष्टि के पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा और उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति कम से कम 80 प्रतिशत आवश्यक होगी ।

(ङ) उपरोक्त उपकंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में उल्लिखित सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन में जहाँ कहीं भी सचिवालय अनुदेश के उपबंध का व्यतिक्रमण होता हो, तो उसे क्षान्त समझा जाय ।

5. आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के एक विशेषांक में सूचनार्थ प्रकाशित कराया जाय तथा उसकी प्रतिलिपि सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / संबद्ध कार्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति, महालेखाकार, बिहार / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / मुख्य वन संरक्षक, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित की जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/- अमिय कुमार बसाक
सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञाप संख्या-10/परी०-901/80 का०-257 पटना-15, दिनांक 30 मार्च, 1981

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / मुख्य वन संरक्षक, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह०/- अमिय कुमार बसाक
सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञाप संख्या-10/परी०-901/80 का०-257 पटना-15, दिनांक 30 मार्च, 1981

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र के एक विशेषांक में उक्त संकल्प को तुरन्त प्रकाशित कराने हेतु अग्रसारित । 2- संबंधित राजपत्र के विशेषांक की एक हजार प्रतियां कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (परीक्षा शाखा) को भेजी जाय ।

ह०/- अमिय कुमार बसाक
सरकार के आयुक्त एवं सचिव

[12]

संख्या 15116

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

11 सितम्बर 1979

विषय :- **बिहार उच्च न्यायिक सेवा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर सीधी नियुक्ति तथा प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में एकरूपता ।**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 10696 का०वि० दिनांक 23 जून 1979 की कंडिका 2 में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया था कि जिस प्रकार वकीलों से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर सीधी नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों का वेतन निर्धारण उनके प्रत्येक तीन वर्षों के वकालत के अनुभव के आधार पर एक वेतन वृद्धि दे कर किया जाता है, उसी प्रकार अवर-न्यायाधीशों की कोटि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति होने वाले व्यक्तियों को भी उनकी प्रत्येक तीन साल की पूर्व सेवा अवधि के आधार पर एक वेतन वृद्धि देकर उनका वेतन निर्धारण किया जायगा । किन्तु ऐसे प्रोन्नति होने वाले पदाधिकारियों के वेतन निर्धारित करते समय उनके वेतन में वृद्धि की न्यूनतम एवं अधिकतम राशि क्या होगी यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन था ।

(2) उक्त प्रश्न पर राज्य सरकार ने गंभीरतापूर्वक विचार कर यह निर्णय लिया है कि बिहार उच्च न्यायिक सेवा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर अवर न्यायाधीश की कोटि से प्रोन्नत पदाधिकारियों के वेतन निर्धारण में उनकी वेतन में वृद्धि की राशि न्यूनतम 200 रु० एवं अधिकतम 300 रु० होगी ।

(3) उपर्युक्त निर्णय दिनांक 1 अप्रील 1979 से प्रभावी होगा ।

(4) इस निर्णय के अनुसार बिहार उच्च न्यायिक सेवा नियमावली, 1951 के नियम 10 (4) में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से यथासमय संशोधित किया जायगा ।

(5) आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि बिहार राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय । यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि वित्त विभाग / निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति / महालेखाकार, बिहार, पटना / सरकार के सभी विभागाध्यक्ष, सभी जिला न्यायाधीश, सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ई० प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव ।

❐ ❐ ❐